

**अनुमति की शर्तें ।**

- (a) उक्त भवन/मुख्यालय के निर्माण की स्वीकृति स्थापित सिद्ध नहीं करती है ।
- (b) किसी भी प्रकार का विवाद (व्यापिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) जो भी निर्माण के दिनांक से निर्माण का कोई उपसहस्रतिशत नहीं होगा, न ही निर्माण किसी भी स्वीकृति के लिए उपसहस्रतिशत होगा ।
- (c) उक्त भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवधिक निगम को सूचना देकर ।
- (d) स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण कार्य जाने पर स्वीकृत विरस्त ही जा सकती है ।

**खुल खिड़की केवल आवासीय प्रयोजनापरि**

जी + 1  
आवासीय

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर  
 आवदन क्रमांक 193 दिनांक 30/07/2019  
 श्री अशोक कुमार डा 0 श्री लक्ष्मीचन्द्र  
 न राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 P. No. 189 अन्तर्गत  
 धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय  
 भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश  
 कर स्वामिधारण राशि रुपये 8000/- (आठ हजार) के  
 जरिये स्टोड संख्या 1028/5661, 5662  
 दिनांक 30/07/2019 को जमा करा दी है ।

कोसेनी, राजगण्डा  
 बाहरा पार्क

30/7  
 सहायक नगर नियोजक  
 नगर निगम, जोधपुर

